न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्र0स0– 15/14

पीठासीन अधिकारी
छगनलाल रेगर
(आर0टी0एस)

अनवान

1–श्रीमति मीना देवी पत्नि रामसहाय भदादा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
(प्रार्थी)

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा
2–श्री दामोदर पुत्र रामचन्द्र कोठारी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3–श्री सुनिल कुमार पुत्र चिरंजीलाल लोहिया निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4–श्री नारायणलाल पुत्र ख्यालीलाल सोनी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5–श्री गौरीशंकर पुत्र उदयराम अहीर नि0 झालमपुरा तहसील राशमी जिला चित्तोड़गढ
(अप्रार्थी)

<u>निर्णय नामान्तरकरण संख्या 939 दिनाकं 20.06.2012 ग्राम गंगापुर</u>

निर्णय दिनाकं–28.05.2018

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमति मीनादेवी पत्नि रामसहाय भदादा नि0 गंगापुर द्वारा एक अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 939 दिनाकं 20.06.2012 ग्राम गंगापुर न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा में प्र0स0 79/12 से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गंगापुर में आराजी न0 2402/1, 2406, 2407, 2412, 2380, 2382 कुल किता 05 रकबा 2.20 हे0 भूमि स्थित है, जिसमें से अप्रार्थीगण 2 से 5 ने रजत कॉलोनी के नाम से भुखण्ड़ काटे है। उसमें से इनके हिस्से में से 186/22000 वा हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाकं 15.072011 से प्रार्थीया द्वारा क्रय किया गया, अप्रार्थीगण 2 से 5 खातेदारो के पावर ऑफ अटोर्नी होल्ड़र है जिनके पक्ष में पावर ऑफ अटोर्नी पंजीकृत है। परन्तु प्रकाश चन्द्र कोठारी के पक्ष में लिखी पावर ऑफ अटोर्नी निरस्त करवा दी गई शेष चार व्यक्तियो की निरस्त नही की है जो वर्तमान में अप्रार्थी स0 2 से 5 होकर चार व्यक्ति है,के पक्ष में पावर ऑफ अटोर्नी चली आ रही है। जिन्हे उक्त आराजियात में से सम्पूर्ण आराजियात एवं भूखण्ड़ विक्रय करने का अधिकार है प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया, पावर ऑफ अटोर्नी में वर्णित अप्रार्थी स0 2 से 5 के अलावा अन्य व्यक्ति प्रकाश चन्द्र के पक्ष में लिखी पावर ऑफ अटोर्नी खातेदारो द्वारा निरस्त कर दी गई इसलिये उसे विक्रय पत्र पंजीयन कराने का अधिकार नही था जिससे विक्रय पत्र में उसका नाम अंकित नही किया गया विक्रय पत्र का बिना अवलोकन किये पावर ऑफ अटोर्नी अनुसार विक्रय पत्र में एक व्यक्ति का नाम कम होने से इसी को आधार बनाकर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया गया जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। न्यायालाय श्रीमान अतरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 79/12 में दिनाकं 30.08.2013 को निर्णय कर अपील को स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड़ किया गया गया कि नामान्तरकरण संख्या 939 ग्राम गगापुर दिनाकं 20.06.2012 में पारित निर्णय को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड़ कर निर्देश दिये गये कि ग्राम गंगापुर की उक्त वर्णित आराजी भूमि जो प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी स0 2 लगायत 5 से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाकं 15.07.2011 से क्रय की गई का पंजीकृत विक्रयपत्र में उल्लेखित तथ्यो का सत्यापन प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर किया जाकर पुर्नविश्लेषण के पश्चात नव निर्णय पारित किया जावे।

लगातार

तहसीलदार सहाड़ा
मु. गंगापुर (भीलवाड़ा)

उक्त निर्णय कि पालना में न्यायालय हाजा में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 लगायत 5 को जवाब प्रस्तुत करने व आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थीया द्वारा वक्त पेशी निवेदन किया गया कि ग्राम गंगापुर के आराजी न0 2402/1, 2406, 2407, 2411, 2412, 2380, 2382 किता 07 रकबा 2.20 हे0 भूमि में से 186/22000 वा हिस्सा क्रय किया गया उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन 15.07.2011 को कराया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया अतः मुताबिक विक्रय पत्र नामान्तरकरण प्रार्थीया के पक्ष में स्वीकृत कराना फरमावे।

प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा शपथ पत्र पर लिखित बयान भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ग्राम गंगापुर के आराजी न0 2402/1, 2406, 2407, 2411, 2412, 2380, 2382 किता 07 रकबा 2.20 हे0 भूमि में से 186/22000 वा हिस्सा क्रय किया गया उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन 15.07.2011 को कराया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। विक्रय शुदा भुखण्ड़ के कई खातेदार थे, जिनमें से कुछ ने पावर ऑफ अटोर्नी जमीन विक्रय बाबत अन्य सह खातेदारो को दे रखी थी, जिससे उन्होने अन्य खातेदारो द्वारा प्रदत्त अधिकारो एवं स्वयं के अधिकार से उक्त भूखण्ड़ विक्रय किया गया है व कब्जा सिपुर्द किया गया तब से उक्त क्रय शुदा भूमि पर मैं ही काबिज हुं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 939 भरा गया जो दिनाकं 20.06.2012 को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील प्र0स 79/12 से न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महो0 भीलवाड़ा में दर्ज होकर दिनाकं 30.08.2013 को निर्णित कर उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया है। उक्त भूमियों में से मुझ प्रार्थीया को विक्रताओ द्वारा भूमि विक्रय करने से पूर्व भी खातेदारो द्वारा उन्ही दस्तावेजो के आधार पर कई अन्य व्यक्तियो को भी भुखण्ड़ विक्रय किये गये है, जिनके नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुके है जिनका इन्द्राज जमाबंदी पर भी अंकित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया के पक्ष में भी विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत कराना फरमावे। उक्त बयान शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थी स0 2 से 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण 2 लगायत 5 द्वारा गंगापुर में स्थित अपने स्वामित्व एव खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात में से एक कृषि भुखण्ड़ दिनाकं 15.07.2011 को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के प्रार्थीया मीनादेवी को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया। वक्त पंजीयन कार्यवाही उक्त पावर ऑफ अटोर्नी भी प्रस्तुत की गई थी, जिससे संतुष्ट होने के पश्चात ही उक्त विक्रय पत्र पंजीबद्व किया गया था। किन्तु मुताबिक विक्रय पत्र उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किये जाने से प्रार्थीया द्वारा अपील की गई हे। मुताबिक विक्रय पत्र प्रार्थीया के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीया ने उचित प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड़ विक्रय पत्र के कृषि भुखण्ड़ क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी वह स्वामी है और राजस्व रेकार्ड़ में प्रार्थीया अपना नाम बतौर खातेदार क्रय शुदा हिस्से तक दर्ज करवाने की अधिकारी है। पूर्व में भी विक्रय पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो के आधार पर कई विक्रय पत्र पंजीबद्व हुए है जिनके केताओ में नाम पर नामान्तरकरण भी स्वीकृत किये गये है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा क्रय शुदा आराजी में उसका हिस्सा विक्रय पत्र अनुसार जरिये नामान्तरकरण के राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज कराना फरमावे। उक्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजीयात में से पूर्व में पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनाकं 06.12.2012 की प्रति व नकल जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत कि गई जिसमें गंगापुर के खाता स0 595 तकं वर्णित आराजी कुल किता 07 रकबा 2.20 हे0 में से सुरेशचन्द्र खारोल नि0 काली मंगरी द्वारा 186/22000 वा हिस्सा क्रय किया गया।

लगातार

तहसीलदार सहा॰
गंगापुर (भीलवाड़ा)

उक्त विक्रय पत्र अनुसार ना0स0 1069 दिनांक 08.04.2015 दर्ज कर स्वीकृत किया जाकर क्रेता के नाम क्रय शुदा हिस्सा रेकार्ड़ में दर्ज किया गया। उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली व रेकार्ड़ का अवलोकन किया गया जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं ग्राम ग्राम गंगापुर कें आराजी न0 2402/1, 2406, 2407, 2411, 2412, 2380, 2382 कुल किता 05 रकबा 2.20 हे0 भूमि स्थित है, जिसमें से 186/22000 वा हिस्सा प्रार्थीया द्वारा क्रय किया गया है तथा इसी अनुसार पूर्व में भी उक्त आराजियात में से भूमि विक्रय होकर क्रेताओ के पक्ष में नामान्तरकरण भी स्वीकृत हुये है। पावर ऑफ अटोर्नी जिनके पक्ष में जिन खातेदारो द्वारा दी गई है उन्ही के द्वारा पावर आफॅ अटोर्नी के आधार पर विक्रय पत्र का पंजीयन कराया गया है। प्रार्थीया मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनाकं 15.07.2011 अनुसार क्रय शुदा भी का नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज कराने की अधिकारी है। अमः मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र दस्तावेज संख्या 1666/11 दिनाकं 15.07.2016 अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाना मैं उचित समझता हुं।

अतः ग्राम गंगापुर के आराजी न0 2402/1, 2406, 2407, 2411, 2412, 2380, 2382 कुल किता 07 रकबा 2.20 हे0 भूमि की नकल जमाबन्दी में मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र दस्तावेज संख्या 1666/11 दिनाकं 15.07.2011 अनुसार व्रिकेताओ के हिस्से की भूमि में से 186/22000 वा हिस्सा प्रार्थीया मीनादेवी पत्नि रामसहाय भदादा नि0 गंगापुर के नाम जरिये नामान्तरकरण के दर्ज रेकार्ड़ किये जाने का आदेश एतद् द्वारा दिया जाता है। पटवारी हल्का गंगापुर को पंजीबद्व विक्रय पत्र दस्तावेज संख्या 1666/11 दिनाकं 15.07.2011 अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु व निर्णयानुसार पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाकं....28.05.2018..... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तमकील नम्बर से

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम गंगापुर